ग्रेट अरब शेख एवं ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड

डॉ. चंद्रशीला गुप्ता

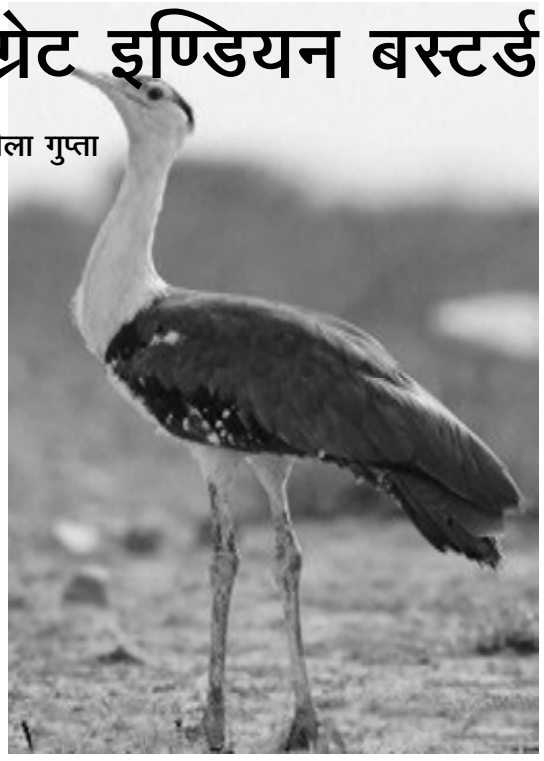

खनिज तेल के भण्डार वाले अरबपति अरबों ने अपनी अकूत संपदा को खर्च करने के नायाब तरीके खोजे हैं। सन 1969 में अबूधाबी से कुछ शेख भारत पधारे। वे अपने साथ 40 प्रशिक्षित बाज़ लेकर आए थे। बाज़ों की कीमत तब 50 हज़ार से 1 लाख रुपए तक होती थी। कीमत बाज़ की तेज़ उड़ने की क्षमता व लड़ाकू प्रवृत्ति पर निर्भर करती है।

वैसे तो बन्दूक से भी पक्षियों का शिकार किया जाता है लेकिन बाज़ से शिकार का शायद रोमांच ज़्यादा है। वे राजस्थान घूमे और सबसे ज़्यादा शिकार उन्होंने राजस्थान के राज्य पक्षी ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड या गोण्डावन का ही किया। इसका शिकार कानूनन मना है। जब प्रेस ने हो हल्ला मचाया तब एक विभागीय विज्ञप्ति जारी की गई कि शेखों ने जिस पक्षी का शिकार किया था वह ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड न होकर लेसर बस्टर्ड है।

लेसर बस्टर्ड अरबों के लिए हुबारा है जबकि स्थानीय लोग इसे तिलोद कहते हैं। यह एक प्रवासी पक्षी है जो नवम्बर माह में राजस्थान आता है। इसकी अन्य प्रजातियां अफ्रीका के रेगिस्तान में पाई जाती हैं।

ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड को हिन्दी में गोण्डावन, सौन चिरैया या हुक्ना आदि नामों से पुकारते हैं। संस्कृत में इसे सांरग व लेटिन में *चोरियोटिस निग्रिसेप्स* कहते हैं।

सन 1965 एवं 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान अरब शेखों ने पाकिस्तान को युद्ध में मदद करने के बदले पाकिस्तान सीमा में जैसलमेर के रेगिस्तान के सामने 3 महल बना लिए। सन 1974 व 1978 के दौरान करीबन 7 अरब देशों के शेख व अमीर शिकार के लिए यहीं ठहरे। इन्होंने करीब 2500 दुर्लभ पक्षियों का शिकार किया। वहां पक्षियों की संख्या कम होने पर इनकी (कु)दृष्टि सामने यानी जैसलमेर व बाड़मेर पर पड़ी। राजस्थान का यह थार क्षेत्र प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है।

धीरे-धीरे इनकी संख्या कम होने लगी थी। इस रेगिस्तान का सबसे मशहूर पक्षी गोण्डावन या ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड है जिसे सन 1952 में 13 दुर्लभ प्राणियों में शुमार किया गया था। बाद में इसे वन्य जीवन अधिनियम 1972 में शामिल किया गया, और पूरे देश में इसके शिकार पर प्रतिबंध लग गया।

सन 1978 में एक 83 सदस्यीय शाही पार्टी भारत आई जिसके अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों में यू.ए.ई. के गृहमंत्री शहज़ादे बद्र और उनके छोटे पुत्र भी थे। ये सर्व-सुविधाओं से लैस होकर आए थे। तड़के जब उगते सूरज की हल्की लाली होती थी तब ये गोण्डावन के पदचिन्हों का पीछा

करते-करते उस जगह तक पहुंच जाते थे जहां वह छिपी बैठी होती थी। व्यवधान होने से चिड़िया जैसे ही उड़ती, शिकारी बाज़ छोड़ दिए जाते थे। बाज़ जब गोण्डावन को पकड़ कर लाता था तब उसके पंजों से इसे छुड़ाकर उसकी गर्दन चाकू से काटकर विधिवत हलाल किया जाता था। थोड़ी देर बाद एक ओर गोण्डावन पकड़ कर लाई जाती थी लेकिन अपने दूसरे बाज़ की क्षमता परखने के लिए वे इसे मुक्त कर देते थे। चिड़िया को कत्ल से पहले 3 बार छोड़कर फिर हर बार बाज़ द्वारा पकड़वाया जाता था।

यूं रुका शिकार

राजस्थान का साधारण व्यक्ति भी समझ रहा था कि इस रेगिस्तान में अरबों के लिए आकर्षण गोण्डावन का शिकार ही है। इसे संकटग्रस्त प्राणियों की अनुसूची-1 में रखा गया है यद्यपि इन विदेशी मेहमानों को भारत सरकार ने ही अनुमति दी थी। अब चाहे सरकार ने गोण्डावन के शिकार की बात अधिकृत रूप से नकार दी थी, पक्षी प्रेमी, प्राणी शास्त्री, विश्व पर्यावरण निधि-राजस्थान, विश्नोई समाज, जैन युवा मण्डल व तरूण समाज जैसे अनेक संगठनों ने अरबों द्वारा शिकार के विरुद्ध जन आन्दोलन छेड़ दिया। दी बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी जैसी संस्थाओं ने भी सहयोग किया। वन्य जीवन संरक्षण सभा उदयपुर ने जोधपुर हाइकोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया।

विदेश मंत्रालय ने जन आन्दोलन की गहराई को समझकर शहज़ादे बद्र को वन्य प्रेमियों की भावनाओं से अवगत करवाया। तब शहज़ादे बद्र ने शिकार रोक दिया। उन्हें व उनके छोटे बेटे को वायु सेना के विमान द्वारा दिल्ली लाया गया जहां से वे उसी दिन स्वदेश रवाना हो गए। इस तरह थार के रेगिस्तान को संहार से बचाया गया।

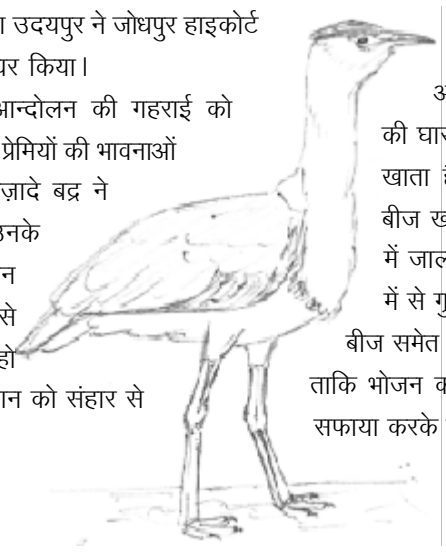

हमारे देश में ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड राजस्थान के अलावा म.प्र., गुजरात, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में पाया जाता है। ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड एक बेहद खूबसूरत चिड़िया है जो गिद्ध से भी बड़ी करीबन एक मीटर लम्बी होती है। इसके पंखों का फैलाव ढाई मीटर होता है और वजन 18 कि.ग्रा. से ज़्यादा होता है। मादा हल्की होती है और इसकी संरचना आस्ट्रेलियाई शुतुरमुर्ग या एमु जैसी होती है।

एक बड़ा नर देशी सारस जितना लम्बा होता है। इसकी गर्दन सफेद, पीठ भूरी व अंदरूनी हिस्सा काला होता है व गर्दन के आधार पर एक काला घेरा होता है। यह अपना सिर व चोंच ऊपर उठाकर 45 डिग्री कोण पर रखता है। इसके पैर लम्बे, मज़बूत व धूसर पीले रंग के होते हैं। यह तेज़ धावक है और उड़ने के लिए भारी होती है लेकिन एक बार उड़ान पकड़ने के बाद खासी तेज़ उड़ती है।

मतवाली चाल

इस पक्षी की चाल बड़ी जादुई व मतवाली होती है। सिर को गर्व से तानकर बड़े आराम से राजसी अंदाज़ में यह एक एक कदम आगे बढ़ाती है। खतरा महसूस होने पर यह इधर-उधर आंखें घुमाकर खतरे को ढूंढती है और छेड़े जाने पर शोर मचाती है।

यह मांसाहारी पक्षी टिड्डे, कीड़े, घोंघे, छोटे सांप, गिंजाई, छिपकलियां आदि खाता है। साथ में कुछ खास किस्म की घास, पत्तियां, बीज, फल व अंकुरित बीज भी खाता है। यह तरबूज़ और खरबूज़ के खेतों में बीज खाने के लिए धावा बोलता है। यह झाड़ियों में जालों में लगी मकड़ियां और बरसात में गोबर में से गुबरेले पकड़ कर खा जाता है। यह बेर को बीज समेत खा जाता है साथ में कंकड़ भी निगलता है ताकि भोजन को पीसा जा सके। यह खेतों के चूहों का सफाया करके किसानों की मदद भी करता है। यह सुबह

शाम भोजन के लिए निकलता है और दिन में आराम करता है।

गोण्डावन नर अपने हरम में कई मादाएं रखता है। अण्डे सेना या शिशु को पालना मादाओं का ही काम है, नर कोई योगदान नहीं देता है। प्रणय काल में नर मादा को रिझाने के लिए मोर के समान नृत्य करता है। इसकी प्रणय पुकार कुछ कुछ शेर की दहाड़ व ऊंट की फुसफुस के समान होती है। सूर्योदय के पूर्व व सूर्यास्त के बाद ये पुकार सुनी जा सकती हैं। इन्हीं से गोण्डावन की उपस्थिति का पता लगता है। आवाज़ निकालते वक्त यह वायुकोष फुला लेता है जिससे इसकी ग्रसिका अन्न के दानों से भरी नज़र आती है। प्रणय के लिए यह रेत के टीलों को चुनता है। मादा अण्डे देने के लिए निर्जन जगह चुनती है और एक बार में एक ही अण्डा देती है। सन 1975-76 में इसे चिड़ियाघर में सफलतापूर्वक प्रजनन करवाया गया।

इसकी दृष्टि बहुत तीक्ष्ण है। दूर से ही शत्रु को ताड़ लेता है और ज़रा सी भनक लगते ही उड़कर झाड़ी आदि में छुप जाता है।

कुछ संरक्षणवादी इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित करवाना चाहते थे लेकिन मोर की खूबसूरती के आगे तो यह विशाल पक्षी बौना ही है।

इसके संरक्षण की आवश्यकता महसूस करते हुए थार क्षेत्र को थार रेगिस्तान अभयारण्य घोषित किया गया है जिसमें जैसलमेर व बाड़मेर का 3,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र आता है और यहां गोण्डावन के अलावा कांटेदार पूंछवाली छिपकली, चिंकारा, कृष्णमृग, भेड़िया, रेगिस्तानी लोमड़ी एवं बिल्ली तथा विशाल गिद्ध भी पाए जाते हैं। ***(स्रोत विशेष फीचर्स)***